

87

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड, केम्प उज्जैन, संभाग उज्जैन (म.प्र.)

जिला देवास

निगरानी क्र. / 2014

R. 3389 - II/14

1. राजीव पिता कृष्णकुमार पाण्डे

आयु 58 वर्ष,

निवासी - ग्राम 310, सनसिटी, महालक्ष्मी नगर

इन्दौर (म.प्र.)

निगरानीकर्ता / प्रतिप्रार्थी

विरुद्ध

35576 मुद्रा प 2/14
16/8/14

1. अखिलेश पिता द्वारकाप्रसाद

निवासी 304, सनसिटी, महालक्ष्मी नगर

इन्दौर (म.प्र.)

2. गोविंद पिता शंकरलाल, आयु 35 वर्ष

निवासी पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

प्रत्यर्थी / प्रार्थी

M. J. S.
myk-8hcloud/hyad
we shall not be liable

30-9-14


निगरानी अंतर्गत धारा 50, म.प्र.भू राजस्व संहिता- 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से श्रीमान् तहसीलदार महोदय, खातेगोंव जिला देवास, द्वारा राजस्व प्र.क्र. 4/अ/13/2013-14 में दिनांक 09/07/2014 को पारित अंतरिम आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन अंदर अवधि में उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि, प्रत्यर्थी / प्रार्थी ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 131 एवं धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र के अनुसार प्रत्यर्थी / प्रार्थी की कृषि भूमि




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3389-एक/14

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	